# प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –203 / 2023
अनवान : –

1. कुलदीप पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

– **वादी**

**बनाम्**

1. ओमप्रकाश पुत्र हड़मान उर्फ हनुमानराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. मीरा देवी पत्नी ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. पवन कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

**निर्णय** **दिनांकः** 12/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 26/26 की कुल 3.3130 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के खसरा न0 173 की 7.6890 हैक्ट भूमि में से 1517/7689 हिस्सा भूमि व खाता स0 269/48 की कुल 1.6820 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा मिनकदेसर के खाता स0 166/170 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात By Birth Right हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी संख्या व प्रतिवादी स0 3 का प्रतिवादी स0 1 व 2 के साथ हक हिस्सा है।

वादी व प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा जोखासर के खाता स0 26/26 की 3.3130 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा पाण्डुसर पाण्डुसर के खाता स0 143/148 की कुल 7.6890 हैक्ट भूमि में 1517/7689 हिस्सा भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 3 बहिब काबिज है एवं रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 166/170 की 5.0600 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादीया स0 2 के नाम दर्ज 5/8 हिस्सा भूमि में से 2.9095 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 3 बहिब काबिज है एवं शेष भूमि पर प्रतिवादीया स0 2 यथावत काबिज है एवं खाता स0 269/48 की कुल [illegible]20 हैक्ट भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

से 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 26/26 की कुल 3.3130 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के खसरा न0 173 की 7.6890 हैक्ट भूमि में से 1517/7689 हिस्सा भूमि व खाता स0 269/48 की कुल 1.6820 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा मिनकदेसर के खाता स0 166/170 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 26/26 की कुल 3.3130 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के खसरा न0 173 की 7.6890 हैक्ट भूमि में से 1517/7689 हिस्सा भूमि उक्त दोनो खातो की भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा मिनकदेसर के खाता स0 166/170 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 5/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी 2.9095 हैक्ट का वादी व प्रतिवादी स0 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष भूमि प्रतिवादीया स0 2 के यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12.5.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–..........................

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:30 IST
Reason: SelfAttested

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
## पर्चा डिक्री

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –203 / 2023

अनवान : –

1. कुलदीप पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

**– वादी**

**बनाम्**

1. ओमप्रकाश पुत्र हड़मान उर्फ हनुमानराम जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. मीरा देवी पत्नी ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. पवन कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 203 सन 2023 निर्णय दिनांक**

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 26/26 की कुल 3.3130 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के खसरा न0 173 की 7.6890 हैक्ट भूमि में से 1517/7689 हिस्सा भूमि उक्त दोनो खातो की भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा मिनकदेसर के खाता स0 166/170 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 5/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी 2.9095 हैक्ट का वादी व प्रतिवादी स0 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष भूमि प्रतिवादीया स0 2 के यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.5.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प साईट–..........................

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:30 IST
Reason: SelfAttested